



झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 1 राँची, बुधवार 16 पौष, 1942 (श०)
6 जनवरी, 2021 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ

पृष्ठ

भाग 1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी 1- 11

और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ।

भाग 1-क—स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के आदेश ।

भाग 1-ख—मैट्रिकुलेसन, आई.ए., आई.एस.सी., बी.ए., बी.एस.सी., एम.ए., एम.ए.सी., लॉ भाग1 और 2, एम.बी.बी.एस., बी.सी.ई., डिप०-इन-एड., मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रदान आदि।

भाग 1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।

भाग-2—झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा

भाग-2—झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ एवं नियम आदि ।

भाग 3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 'भारत गज़ट' और राज्य गज़टों से उद्धरण।

भाग-4—झारखण्ड अधिनियम

भाग-5—झारखण्ड विधान-सभा में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक ।

भाग-7—संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।

भाग-8— भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।

भाग-9— विज्ञापन ---

भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं

भाग-9-ख—निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ इत्यादि।

पूरक--

...

...

पूरक "अ"

...

...

भाग 1**नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ****श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग
निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची।****अधिसूचना**

1 जनवरी, 2021

संचिका संख्या-5/प्रशि0(नियुक्ति-II)-237/2010- 01—भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा / सम्बर्ग के समूह - ग के अधीन अराजपत्रित पद पर नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त नियमावली, 2008(यथा संशोधित) में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ:- (1) यह नियमावली “झारखण्ड औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा/सम्बर्ग (समूह-“ग” के अधीन अराजपत्रित पद पर नियुक्ति/प्रोन्नति एवं सेवा शर्त)(संशोधन) नियमावली, 2020” कहलाएगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह नियमावली “झारखण्ड राजपत्र” में उसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. (1) “झारखण्ड औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा/सम्बर्ग (समूह-“ग” के अधीन अराजपत्रित पद पर नियुक्ति / प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) नियमावली - 2008 जो नियमावली - 2008 में यथासंशोधित इसके पश्चात मूल नियमावली कही जाएगी, के **नियम-2 परिभाषाएँ** के खण्ड-च के प्रावधान है:-

“अन्य पिछड़े वर्ग से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना जो अन्य पिछड़े वर्ग के लिए हो।”

को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है:-

च(i) अन्य पिछड़े वर्ग से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना जो अन्य पिछड़े वर्ग के लिए हो एवं

(ii) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए हो, किया जाता है।

(2) मूल नियमावली के नियम-7 शीर्षक सीधी भर्ती की पात्रता की शर्त की उप नियम-2 के प्रावधान

“शैक्षणिक अर्हता- अभ्यर्थी को सेवा के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हता वही होंगी जो अनुसूची में दर्शायी गयी है।”

को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है:-

“शैक्षणिक एवं अन्य अहर्ताएँ- अभ्यर्थी को सेवा के लिए निर्धारित शैक्षणिक एवं अन्य अहर्ताएँ वहीं होंगी जो अनुसूची में दर्शायी गयी है, जिसमें राज्य सरकार / प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेश के आलोक में संशोधित होगी।”

(3) मूल नियमावली के कंडिका-6 चयन की प्रक्रिया की उप कंडिका-(क) प) के प्रावधान

“झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर प्राप्त मेधा-सूची के अनुसार की जाएगी।”

को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है:-

i) झारखण्ड औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा/संवर्ग (ग्रुप-‘ग’ के अधीन अराजपत्रित पद पर नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा श्रृंखला) नियमावली के अन्तर्गत विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु उक्त सेवा/संवर्ग नियमावली में अंकित नियुक्ति प्रक्रिया के आधार पर ही झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा आयोजित करेगा। अतः नियुक्ति हेतु परीक्षा आयोजन के क्रम में संबंधित सभी पदों को आयोग की विभिन्न परीक्षा संचालन नियमावलियों से विमुक्त किया जाता है। झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा के उपरान्त आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई अनुशंसा के आधार पर नियुक्ति की जायेगी। तदनुसार सीधी नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा की प्रक्रिया एवं स्वरूप निम्नवत् होगी:-

(क) लिखित परीक्षा

लिखित परीक्षा के अन्तर्गत तीन पत्र होंगे। लिखित परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर आधारित होंगे। परीक्षा का माध्यम हिन्दी/अंग्रेजी होगी। प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि दो घंटे की होगी। तीनों ही पत्रों के प्रत्येक प्रश्न तीन अंक के होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए तीन अंक प्रदान किये जायेंगे एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक अंक की कटौती की जाएगी।

पत्र 1 - विषय: (भाषा एवं सामान्य ज्ञान)

भाषा ज्ञान

(क) हिन्दी भाषा ज्ञान	-	25 प्रश्न
(ख) अंग्रेजी भाषा ज्ञान	-	25 प्रश्न

सामान्य ज्ञान

(क) झारखण्ड राज्य से संबंधित ज्ञान	-	30 प्रश्न
(ख) सामान्य विज्ञान	-	10 प्रश्न
(ग) सामान्य गणित	-	10 प्रश्न
(घ) मानसिक क्षमता जाँच	-	10 प्रश्न
(ङ) कम्प्यूटर का ज्ञान	-	10 प्रश्न
कुल	-	120 प्रश्न

इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 30 प्रतिशत न्यूनतम अहर्ताक निर्धारित रहेगा। न्यूनतम अहर्ताक से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए चयन हेतु असफल/अयोग्य माने जाएंगे। प्राप्त अंक मेधा निर्धारण के लिए जोड़ा जायेगा।

नोट:- परीक्षा का पाठ्यक्रम आयोग द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

पत्र 2 - (क्षेत्रीय/जनजातीय अन्य भाषा ज्ञान)

हिन्दी/अंग्रेजी/उर्दू/संथाली/बंगला/मुण्डारी(मुण्डा)/हो/खड़िया/कुड़ूख(उराँव)/कुरमाली/खोरठा/नागपुरी/पंच परगनीया/उड़िया/संस्कृत में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेगे। इस परीक्षा में संबंधित भाषा के एक सौ (100) बहुविकल्पीय उत्तर आधारित प्रश्न पूछे जायेंगे। संबंधित भाषा का पाठ्यक्रम वही होगा जो कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जायेगा।

पत्र 3 (तकनीकी योग्यता)

इस पत्र में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या 120 (एक सौ बीस) होगी एवं इसका पाठ्यक्रम वही होगा जो सेवा संवर्ग नियमावली की अनुसूची में किसी पद विशेष के पाठ्यक्रम के रूप में अंकित है।

टिप्पणी-

- (1) पत्र-1 (भाषा एवं सामान्य ज्ञान) की परीक्षा में न्यूनतम अहर्ताक 30 प्रतिशत होगा। न्यूनतम अहर्ताक से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए चयन हेतु असफल/अयोग्य माने जायेंगे। प्राप्त अंक मेधा निर्धारण के लिए जोड़ा जायेगा।
- (2) पत्र-2 जनजातीय/क्षेत्रीय/अन्य भाषा ज्ञान तथा पत्र-3 तकनीकी योग्यता की परीक्षा में कोई न्यूनतम अहर्ताक नहीं होगा।
- (3) पत्र-1 भाषा एवं सामान्य ज्ञान की परीक्षा में न्यूनतम अहर्ताक 30 प्रतिशत अथवा इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के पत्र 1, पत्र-2 एवं पत्र-3 में प्राप्त अंकों को जोड़ कर कुल अंकों के आधार पर मेधा का निर्धारण किया जायेगा।

(ख) लिखित परीक्षा के आधार पर मेधा सूची का निर्माण

(i) मेधा सूची के निर्माण में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा समय-समय पर विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के सन्दर्भ में निर्गत न्यूनतम अहर्ताक संबंधी अधिसूचना/संकल्प/परिपत्र का पालन किया जायेगा।

(ii) आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा के उपरांत प्रश्न पत्र 1 में न्यूनतम 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के प्रश्न पत्र 1, 2 एवं 3 के विषयों के प्राप्तांक के योग के आधार पर सामान्य मेधा-सूची (Common Merit List) तैयार की जायेगी।

(iii) मेधा-सूची में एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान (Equal Marks) रहने पर मेधा का निर्धारण उम्मीदवारों की जन्म तिथि के आधार पर किया जायेगा तथा वैसे अभ्यर्थी, जिनकी उम्र ज्यादा

होगी, उन्हें अपेक्षाकृत ऊपर स्थान मिलेगा। यदि एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक और जन्म तिथि समान पायी जाती है, तो ऐसी स्थिति में उनके नाम के अंग्रेजी वर्तनी (Spelling) के वर्णक्रम के अनुसार मेधा का निर्धारण किया जायेगा और इसके निर्धारण के लिये आवेदन में अंकित अंग्रेजी में लिखे गये नाम को आधार माना जायेगा।

(iv) आरक्षण एवं स्थानीयता के सम्बन्ध में राज्य सरकार से प्राप्त अद्यतन निर्देशों का पालन किया जायेगा।

(v) मेधा-सूची गठित करने के पश्चात् यथा समय अपनी सुविधा के अनुसार आयोग के द्वारा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के सहयोग से विज्ञापित पदों पर नियुक्ति के लिये चयन हेतु निर्धारित पात्रता/अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों की प्रारंभिक जांच करायी जायेगी। प्रमाण पत्रों की जांच के क्रम में यदि किसी कोटि के उम्मीदवार के आवेदन पत्र में अंकित दावों का सत्यापन नहीं हो पाता है और उनकी उम्मीदवारी रद्द हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में आयोग द्वारा सम्बन्धित कोटि में रिक्त पदों की उपलब्धता के आलोक में मेधा सूची से क्रम के अनुसार उम्मीदवारों की प्रमाण-पत्रों की प्रारंभिक जाँच के लिए आमंत्रित कर सकता है।

(vi) प्रारंभिक जाँच उपरान्त अध्याचना के अनुरूप सफल अभ्यर्थियों की अनुशंसा एवं अनुशंसित अभ्यर्थियों का मूल आवेदन पत्र एवं स्व-अभिप्रमाणित/हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र आयोग द्वारा प्रशासी/अध्याची विभाग को भेजी जायेगी।

(vii) अनुशंसित अभ्यर्थियों के सभी प्रमाण पत्रों की जाँच उपरान्त संतुष्ट होने पर नियुक्ति प्राधिकार द्वारा नियुक्ति की कार्यवाई की जायेगी।

(4) मूल नियमावली के नियम-10 के प्रावधान

“सीधी भर्ती के लिए उपलब्ध रिक्त पदों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखे जायेंगे। नियुक्ति के समय सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन पद आधारित आरक्षण रॉस्टर लागू होगा।”

को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है:-

“सीधी भर्ती के लिए उपलब्ध रिक्त पदों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखे जायेंगे। नियुक्ति के समय सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन पद आधारित आरक्षण रॉस्टर लागू होगा।”

(5) मूल नियमावली के नियम-6 चयन की प्रक्रिया के उप नियम (क) (ii) एवं (iii) में अंकित ‘महानिदेशालय, रोजगार एवं प्रशिक्षण, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार’ शब्द समूह को “प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार” शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाता है।

(6) मूल नियमावली की के नियम 15(1) एवं 15(2) के उपरान्त उप नियम 15(3) एवं 15(4) का समावेशन निम्नरूपेण किया जाता है:-

“15(3)-परिवीक्षा की अवधि एवं सेवा संपुष्टि

परिवीक्षा की अवधि दो वर्ष की होगी। सेवा सम्पुष्टि हेतु सभी प्रशिक्षण अधिकारियों को परीक्ष्यमान् अवधि कुशलतापूर्वक पूर्ण करना, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा आयोजित अराजपत्रित हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा, राजस्व पर्षद, झारखण्ड द्वारा अराजपत्रित कर्मचारियों हेतु आयोजित जनजातीय भाषा परीक्षा एवं झारखण्ड सचिवालय सेवा के सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों के लिए आयोजित किये जाने वाले कम्प्यूटर दक्षता(व्यावहारिक एवं सैद्धांतिक) परीक्षा के समान पाठ्यक्रम वाले कम्प्यूटर दक्षता(व्यावहारिक एवं सैद्धांतिक) परीक्षा में उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।

15(4)-वरीयता

एतद् विषयक कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशा के आलोक में निर्धारित होगी:-

(i) वरीयता नियुक्ति प्राधिकार के स्तर पर संधारित होगी।

(ii) इस संवर्ग में पूर्व से कार्यरत प्रशिक्षण अधिकारियों की आपसी वरीयता चयन आयोग द्वारा अनुषंसित मेधा सूची के आधार पर संधारित होगी। जहाँ चयन आयोग की मेधा सूची उपलब्ध नहीं हो वहाँ प्रशिक्षण अधिकारी के आपसी वरीयता, नियुक्ति की तिथि के क्रमानुसार रहेगी तथा एक ही तिथि को नियुक्त प्रशिक्षण अधिकारी को उनकी जन्म तिथि या जन्म तिथि एक रहने पर नामों के अंग्रेजी वर्णमाला के प्रारम्भिक अक्षर/अक्षरों के आधार पर निर्धारित होगी।

(iii) चयन आयोग की मेधा सूची के आधार पर एवं अन्य माध्यम से, यथा अनुकंपा के आधार पर, एक ही वर्ष में नियुक्त कर्मियों में चयन आयोग की अनुषंसा के आधार पर नियुक्त कर्मी वरीय होंगे।

(iv) अधिसूचना के प्रवृत्त होने की तिथि के बाद नियुक्त प्रशिक्षण अधिकारियों की वरीयता झारखण्ड राज्य कर्मचारी चयन आयोग की अनुषंसित मेधा सूची के क्रमानुसार रहेगी।”

(7) मूल नियमावली के नियम-16 शीर्षक पदोन्नति की उप नियम-2 के प्रावधान

“आरक्षित पदों पर पदोन्नति करने के लिए प्रक्रिया सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार होगी।”

को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है:-

“आरक्षित पदों पर पदोन्नति करने के लिए प्रक्रिया सरकार के कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार होगी।”

(8) मूल नियमावली के नियम-2 परिभाषाएँ की खण्ड (ग) तथा नियमावली के अन्य नियमों में अंकित ‘नियुक्ति प्राधिकारी’ को ‘नियुक्ति प्राधिकार’ से प्रतिस्थापित किया जाता है।

(9) मूल नियमावली के साथ संलग्न अनुसूची के क्रमांक-1 एवं 2 में वर्णित पदों का नामकरण को निम्नरूपेण प्रतिस्थापित किया जाता है:-

- | | | |
|---|---|-------------------------|
| (1) व्यवसाय/ड्राईंग/गणित/आशुलिपिक अनुदेशक | - | प्रशिक्षण अधिकारी |
| (2) मुख्य अनुदेशक | - | मुख्य प्रशिक्षण अधिकारी |

(10) मूल नियमावली के नियम-7(3) के प्रावधान

“फीस-अभ्यर्थी को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की गई फीस का भुगतान करना होगा।”

को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है:-

“फीस - अभ्यर्थी को आयोग द्वारा निर्धारित की गई फीस का भुगतान करना होगा।”

(11) मूल नियमावली के नियम-6 चयन की प्रक्रिया के पश्चात पुनः अंकित नियम-6 ‘सेवा में पदों पर नियुक्ति’ के अंक ‘6’ को अंक एवं वर्ण ‘6अ’ से प्रतिस्थापित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(ह०/-) अस्पष्ट,
सरकार के सचिव।

अनुसूची

क्र०	पदनाम एवं वेतनमान्	सीधी नियुक्ति एवं प्रोन्नति का क्रमशः अनुपात	सीधी नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता /प्रवेश योग्यता	प्रोन्नति हेतु कालावधि
1	प्रशिक्षण अधिकारी वेतनमान्- 9300-34800/- ग्रेड पे 4200/-	सीधी नियुक्ति -100% प्रोन्नति - 0%	प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता /प्रवेश योग्यता।	-
2	मुख्य प्रशिक्षण अधिकारी वेतनमान्- 9300-34800/- ग्रेड पे 4200/-	सीधी नियुक्ति -0% प्रोन्नति - 100%	-	प्रशिक्षण अधिकारी के पद पर 5 वर्ष का अनुभव।
3	सहायक अधीक्षक वेतनमान्- 9300-34800/- ग्रेड पे 4200/-	सीधी नियुक्ति -50% प्रोन्नति -50%	क) प्रवेशिकोत्तीर्ण। ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ इंजीनियरिंग कॉलेज से किसी भी विद्या में डिग्री /डिप्लोमा उत्तीर्ण। ग) डिग्री एवं डिप्लोमा धारकों को संबंधित क्षेत्र में क्रमशः दो एवं तीन वर्ष का अनुभव।	मुख्य प्रशिक्षण अधिकारी के पद पर 5 वर्ष का अनुभव।
4	मोटर चालक अनुदेशक वेतनमान्- 5200-20200/- ग्रेड पे 1900/-	सीधी नियुक्ति -100% प्रोन्नति - 0%	क) प्रवेशिकोत्तीर्ण। ख) वैध हेभी ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त।	

सचिव

श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग,
झारखण्ड, राँची।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

28 दिसम्बर, 2020

संख्या-1/विविध-816/2020 का- 6771 / अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर राँची के पद पर पदस्थापित सुश्री समीरा एस., भा.प्र.से. (2018) के दिनांक 15.12.2020 से 13.01.2021 तक उपार्जित अवकाश पर प्रस्थान करने के फलस्वरूप इनकी अनुपस्थिति अवधि अथवा एक माह (जो न्यून हो) के लिए श्री उत्कर्ष गुप्ता, भा.प्र.से. (झा:2017), अनुमण्डल पदाधिकारी, बुण्डू, राँची अपने कार्यों के साथ अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर राँची के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

2. श्री उत्कर्ष गुप्ता, भा.प्र.से. को राँची सदर अनुमण्डल के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अरूण कुमार सिन्हा,

सरकार के अवर सचिव।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

14 दिसम्बर, 2020

संख्या-4/नि0सं0-12-121/2014 का. 6577-- श्रीमती नीतु कुमारी, झा0प्र0से0 (चतुर्थ बैच), तत्कालीन अंचल अधिकारी, बोरियों साहेबगंज सम्प्रति पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा प्रथम संतान हेतु दिनांक 02.03.2020 से 28.08.2020 तक (कुल 180 दिन) उपभोग किये गये अवकाश को वित्त विभाग के संकल्प सं0- 551 दिनांक 01.03.2007 एवं 907 दिनांक 01.07.2010 के तहत मातृत्व अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुधीर कुमार रंजन,

सरकार के संयुक्त सचिव।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

9 दिसम्बर, 2020

संख्या-1/विविध-849/2015 का०- 6384 /श्रीमती किरण कुमारी पासी, भा.प्र.से. (झा:2013), परिवहन आयुक्त, झारखण्ड को विभागीय अधिसूचना संख्या-5501 दिनांक 03.11.2020 से स्वीकृत दिनांक 02.11.2020 से 13.11.2020 तक कुल 12 दिनों के स्वीकृत उपार्जित अवकाश को विस्तारित करते हुए दिनांक 14.11.2020 से 19.11.2020 तक कुल 06 दिनों के अतिरिक्त उपार्जित अवकाश की स्वीकृति तथा दिनांक 20.11.2020 से 22.11.2020 तक के राजपत्रित/ शनिवारीय/रविवारीय अवकाश के उपभोग की अनुमति प्रदान की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अरूण कुमार सिन्हा,

सरकार के अवर सचिव।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

4 दिसम्बर, 2020

संख्या-1/पी0-104/2010 का०- 6292/ श्री राहुल कुमार पुरवार, भा.प्र.से. (झा:1999), मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-सचिव, मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग, झारखण्ड को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम 10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत University of Chicago Harris School of Public Policy से Master of Public Policy (MPP) course में द्विवर्षीय प्रोग्राम के लिए भारत सरकार द्वारा एक वर्ष की स्वीकृत अध्ययन अवकाश (Ex-India Study Leave) जो दिनों 08.12.2020 से 07.12.2021 तक प्रभावी होगी के क्रम में दिनांक 08.12.2021 से

05.06.2022 तक कुल 180 दिनों के उपार्जित अवकाश (Ex-India Leave) एवं दिनांक 06.06.2022 से 30.06.2022 तक कुल 25 दिनों के लिए रूपान्तरित अवकाश (Ex-India Leave) की स्वीकृति अध्ययन के उद्देश्य से प्रदान की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अरुण कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना
11 नवम्बर, 2020

संख्या-1/विविध-831/2019 का.- 5735 /श्री लोकेश मिश्रा, भा.प्र.से. (झा:2016), अपर जिला दण्डाधिकारी, विधि व्यवस्था, राँची को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम 10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत दिनांक 23.11.2020 से 24.12.2020 तक कुल 32 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति तथा उक्त अवधि में मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अरुण कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव ।